तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म
06.05.2024	पत्रावली दर्ज रजिस्ट्रर की गयी। वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार उपस्थित। पक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस में प्रकट तथ्यों व दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/–रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी व प्रार्थी की भूमि से लगे हुए सभी पड़ोसी खातेदारों को सूचना–पत्र जारी करते हुए उनकी उपस्थिति में, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में तथा किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी आराजियात वाके मौजा मेवासा की ढ़ाणी पटवार हल्का अरनोदा तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 35 की आराजी नंबर 682 रकबा 0.4900 हैक्टेयर, आराजी [illegible] 683 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, आराजी नंबर 690 हैक्टेयर [illegible] हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.3900 हैक्टेयर [illegible] के कब्जे में दखल दिये बगैर नियमानुसार [illegible] फीस कमिश्नर प्रार्थी से वसूल की जावें। पत्थरगढ़ी किये ज[illegible] की पालना रिपोर्ट [illegible] दिवस में पेश करें। पत्थरगढ़ी हुक्मनामा/आदेश सरे इजलास सुनाया जाकर अलग से कम्प्युटरराईज्ड करा शा.फा. किया गया जिसकी प्रति तहसीलदार निम्बाहेड़ा को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।	No objection

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:31:44 IST
Reason: SelfAttested